# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

**E-mail—pccfwl@mp.gov.in**

## काले हिरण व चिंकारा के शिकार कर अतंराज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का आरोपी रिजवान की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा ख़ारिज

**प्रेस विज्ञप्ति (84/26, दिनांक 02.11.2026)**

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF), क्षेत्रीय इकाई इंदौर ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत एक बड़ी कानूनी सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर पीठ) ने बहुचर्चित वन्यजीव शिकार और संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह मामले के मुख्य आरोपी रिजवान की ओर से दायर जमानत याचिका (MCRC No. 47475/2026) को दिनांक 29 अक्टूबर 2026 के आदेश के तहत खारिज कर दिया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), मध्यप्रदेश के दिशा-निर्देशन में एसटीएफ इकाई इंदौर, स्थानीय पुलिस तथा वनमण्डल इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में किशनगंज (इंदौर) क्षेत्र में एक विशेष कार्रवाई की गई थी। इस दौरान 65 किलोग्राम (लगभग) वन्यजीव मांस, 01 देशी पिस्टल, 03 जीवित कारतूस तथा तस्करी में प्रयुक्त टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन जब्त कर 03 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस संदर्भ में वनमण्डल इंदौर द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675/09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज किया गया।

प्रकरण की संवेदनशीलता और गिरोह के व्यापक नेटवर्क को देखते हुए अग्रिम विवेचना का दायित्व स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) इकाई इंदौर को सौंपा गया। जांच के दौरान नवीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य जुटाते हुए एसटीएसएफ ने अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह के विरुद्ध पृथक प्रकरण (POR No. 237/22) दर्ज कर गहन जांच प्रारंभ की। जिसमें मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र व गैर वन क्षेत्र के साथ ही पडोसी राज्यों में बड़े पैमाने पर वन्यजीवों के अवैध शिकार और इस अपराध के अंतर्राज्जीय स्तर पर जुड़े होने का पता चला। आरोपी रिजवान को एसटीएसएफ द्वारा 04.02.2026 को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर वन्यजीव के सींग, एक राइफल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। विवेचना के दौरान विभिन्न वन क्षेत्र व गैर वन क्षेत्रों आरोपी की संलिप्तता लगातार पाई गई। वर्तमान में इस संगठित गिरोह के कुल 06 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है।

माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर ने दोनों पक्षों की दलीलों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50(8) के तहत दर्ज बयानों, वैज्ञानिक तथ्य, आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी रिजवान को जमानत देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। STSF मध्य प्रदेश वन्यजीव अपराधों के खात्मे के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल